



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY  
साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 14] नई दिल्ली, अप्रैल 30—मई 6, 2017, शनिवार/ वैशाख 10—वैशाख 16, 1939  
No. 14] NEW DELHI, APRIL 30—MAY 6, 2017, SATURDAY/ VAISAKHA 10—VAISAKHA 16, 1939

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4  
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश  
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग)

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2017

का.नि.आ. 33.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, ज्येष्ठ सहायक (हिन्दी) और सहायक (हिन्दी) समूह 'ख' पदों के भर्ती नियम, 2013 का संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, ज्येष्ठ सहायक (हिन्दी) और सहायक(हिन्दी) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

2. ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, ज्येष्ठ सहायक(हिन्दी) और सहायक (हिन्दी) समूह ख पद भर्ती नियम, 2013(जिसे इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में नियम 3 में शब्दों "वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान" और "वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान" के स्थान पर क्रमशः "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" शब्द रखे जायेंगे।

## 3. उक्त नियमों में, अनुसूची में,-

(क) ज्येष्ठ सहायक (हिन्दी) पद के लिए,-

(i) स्तंभ (4) में शीर्षक के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर" शीर्षक रखा जाएगा।

(ii) स्तंभ (4) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7"

प्रविष्टि रखी जाएगी;

(iii) स्तंभ (11) के अधीन प्रविष्टि "पीबी-2 में वेतनमान 9300-34800 रु.+ ग्रेड वेतन 4200" के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ख) सहायक (हिंदी) पद के लिए,-

(i) स्तंभ (4) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर "स्तर-6" प्रविष्टि रखी जाएगी।

(ii) स्तंभ (11) के अधीन प्रविष्टि "पीबी-1 में वेतनमान 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400" स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4" प्रविष्टि रखी जाएगी।

[फा. सं. डीएचआरडी/76239/आरआर/हिन्दी/सी/पी/02/678/डी(आरएण्डडी)/2017]

हर्षा रानी, अवर सचिव

टिप्पण : मुख्य नियम भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड-4 में का.नि.आ. 34 तारीख 27 मई, 2013 द्वारा प्रकाशित किए गये थे।

## MINISTRY OF DEFENCE

## (Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 13th April, 2017

**S.R.O. 33.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Senior Assistant (Hindi) and Assistant (Hindi) Group 'B' posts Recruitment Rules, 2013, namely:-

1. (1) **Short Title and commencement.**- These rules may be called the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Senior Assistant (Hindi) and Assistant (Hindi) posts Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Defence, Defence Research and Development Organisation, Senior Assistant (Hindi) and Assistant (Hindi) Group 'B' posts Recruitment Rules, 2013 (herein after referred to as the said rules), in rule 3, for the words "Pay band and grade pay/pay scale" and "pay band and grade pay/scale of pay" the words "Level in the Pay Matrix" shall respectively be substituted.

3. In the said rules, in the Schedule,-

(a) against the post of **Senior Assistant (Hindi)**,-

(i) in column (4), for the heading, the heading "Level in the Pay matrix" shall be substituted;

(ii) for the entries under column(4), the entry "Level-7 in the pay matrix" shall be substituted;

(iii) under column(11), for the entry "in the scale of Rs. 9300-34800 plus Grade Pay of Rs.4200 in PB-2", the entry "Level-6 in the Pay matrix" shall be substituted;

(b) against the post of **Assistant (Hindi)**,-

(i) for the entries under column(4), the entry "Level-6" shall be substituted;

(ii) under column(11), for the entry "in the scale of Pay of Rs.5200-20200 plus Grade Pay of Rs. 2400 in PB-1", the entry "Level-4 in the Pay matrix" shall be substituted.

[F. No. DHRD/76239/RRs/HINDI/C/P/02/678/D(R&D)/2017]

HARSHA RANI, Under Secy.

Notes : The Principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section-4, vide S.R.O.34, dated 27th May, 2013.

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2017

**का.नि.आ. 34.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा गुणता आश्वासन सेवा नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा गुणता आश्वासन सेवा (संशोधन) नियम, 2017 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा गुणता आश्वासन सेवा नियम, 2014 में :-

(क) नियम 13 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"13.अकृत्यिक उन्नयन.- (1) जब कभी भारतीय प्रशासनिक सेवा में राज्य के संयुक्त काडर के अधिकारी को केन्द्र में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 से स्तर-15 में तैनात किया जाता है तो सेवा के बैचों से संबंधित वे अधिकारी, जो दो वर्ष या अधिक के लिए ज्येष्ठ हैं और अभी तक वेतन मैट्रिक्स के उस विशिष्ट स्तर में उनकी प्रोन्नति नहीं की गई है उनको केन्द्र में वेतन मैट्रिक्स के उस विशिष्ट स्तर में भारतीय प्रशासनिक सेवा कार्यालयों में तैनाती की तारीख से अकृत्यिक आधार पर वेतन मैट्रिक्स में उसी स्तर पर मंजूर की जाएगी।

(2) ऐसी खोजबीन समिति जिसकी संरचना अनुसूची 2 में यथाविनिर्दिष्ट होगी, की सिफारिश पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर में अकृत्यिक उन्नयन मंजूर किया जाएगा।"

(ख) अनुसूची 1 में,-

(i) सारणी के स्तंभ (2) में शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"पदों का नाम, वेतन मैट्रिक्स में स्तर";

(ii) स्तंभ (2) के अधीन की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(2)
"विशेष महानिदेशक, गुणता आश्वासन (उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी) स्तर-15
अपर महानिदेशक, गुणता आश्वासन (ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी) स्तर-14
प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी (कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी, अकृत्यिक चयन श्रेणी) स्तर-13
प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी(कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी) स्तर-12
ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-1 (ज्येष्ठ समय वेतनमान) स्तर-11
ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी-2 (कनिष्ठ समय वेतनमान) स्तर-10";

(ग) पाद टिप्पण 3 के स्थान पर निम्नलिखित पाद टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात्:-

"जिसमें वेतन मैट्रिक्स के स्तर-13 में अकृत्यिक चयन श्रेणी के पद भी सम्मिलित हैं";

(घ) अनुसूची-2 के मद (ई) में शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:-